Annex-3

पत्रांक –10 / न 4–27 / 2006 मा0............/–
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,
श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,
श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– सन फ्लावर स्कूल, बेगुसराय को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित "आर्ट कल्चर एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाईटी बेगुसराय" के द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न हो होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है । सदस्यों का पेशा सर्विस, खेती, समाज सेवा आदि बताया गया है । पेशा से संबंधित सभी शब्द सामान्य शब्द है । इससे वास्तविक पेशा का पता नही चलता है । शर्त्त के अनुरूप विद्यालय को ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य के वास्ताविक पेशा को स्पष्ट करना चाहिए । सदस्यों की सूची संलग्न है ।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के brand name उपयोग नही करने का दावा किया है । विद्यालय के नाम से आम जनता दिगभ्रमित न हो इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 3007 / 2005 अशोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य में दिनांक 09.03.2005 को पारित न्यायादेश (न्यायादेश की प्रति संलग्न) को ध्यान में रखना होगा । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल के नाम से आम जनता दिगभ्रमित न हो जाय । बोर्ड के द्वारा विद्यालय को नाम बदलने की सलाह दी जानी चाहिए ।
3. विद्यालय को 2 एकड़ भूमि प्राप्त है । उक्त भूमि पर आवेदन के अनुसार विद्यालय का भवन निर्माणधीन है । तत्काल विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है जिसकी दूरी निर्माणधीन भवन से 2 किलोमीटर है । आवेदन के अनुसार विद्यालय का अपना भवन जैसे ही निर्मित हो जाएगा विद्यालय उसमें स्थानान्तरित हो जायेगा । विद्यालय के आवेदन के अनुसार किराया का भवन एवं अन्य सुविधा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्ड के अनुरूप है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है ।
4. विद्यालय में 14 शिक्षक है, जिनमें 7 प्रशिक्षित है । शिक्षको की नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर विहित प्रकिया के अनुसार किये जाने का दावा किया गया है और विज्ञापन की प्रति भी संलग्न किया गया है । लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य उपस्थापित नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो । केन्द्रीय माध्यमिक

File: F:C-:\Sanjay\Secondary Edu.\Hasan\ Sun Flower, Begusarai

शिक्षा बोर्ड इस शर्त्त को सुनिश्चित कर सकेगा तथा यह भी देखेगा कि शिक्षकों की योग्यता एन0सी0टी0ई0 के मापदण्ड के अनुरूप हो ।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्को, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने की बात कही गई है । विद्यालय के कथन के अनुरूप कार्रवाई हो रही है या नही इसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुनिश्चित करना होगा ।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :—

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रदद करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तों के आधार पर सन फ्लावर स्कूल, बेगुसराय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

1. विद्यालय से प्राप्त पत्र की छायाप्रतिलिपि संलग्न है ।

Parmanand Singh

MANAGER
SUN FLOWER SCHOOL
Kapasiya, Begusarai

अनुलग्नक —

विश्वासभाजन
ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

पटना, दिनांकः— 5-10-06

ज्ञापांक ... प्रतिलिपि — प्राचार्य, सन फ्लावर स्कूल, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Parmanand Singh

MANAGER
SUN FLOWER SCHOOL
Kapasiya, Begusarai